



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 19.08.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 19.08.2025 को 05 अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 05 अभियोगों में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 04 वर्ष का कारावास व 70,200/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 04 वर्ष का कारावास व 70,200/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

1. दिनांक 24.08.2021 को थाना-इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-254/2021 धारा 307 भादवि व 10/12 डीए एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप **मा0 न्याया0 एडीजे-3/स्पे0 डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 52,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

2. दिनांक 24.08.2021 को थाना-इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप **मा0 न्याया0 एडीजे-3/स्पे0 डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

3. दिनांक 24.08.2021 को थाना-इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2021 धारा 420/411/413 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह एवं मानीट्रिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप **मा0 न्याया0 एडीजे-3/स्पे0 डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 6,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

4. दिनांक 21.08.2021 को थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2021 धारा 392/342/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह एवं मानीट्रिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप **मा0 न्याया0 एडीजे-3/स्पे0 डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 4,200/- रु0 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

5. दिनांक 24.08.2021 को थाना इकदिल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 252/2021 धारा 307 भादवि व 10/12 डीडी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम सिंह एवं मानीट्रिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप **मा0 न्याया0 एडीजे-3/स्पे0 डकैती कोर्ट, इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 7000/- रु0 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. रघुनन्दन उर्फ रघु पुत्र निर्मल कुमार निवासी श्याम नगर नई मंडी थाना फ्रैन्डस कालोनी जनपद इटावा ।